

**उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन**



**प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त**

सत्र : 2020-21

A handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom right corner of the page.

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा—
- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में मार्गदर्शिका में समाहित किया जा रहा है परंतु याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्द्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा
1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल
 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- 12.4.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) : विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।
- 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.7 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/ विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/ दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों

एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

- 12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

- 12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश:

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बन्धित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

- 12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे-

- शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गर्वनिंग वाडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
- विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
- ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।

- 12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियां से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हे निश्चित समय सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुनःसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की ही होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुनःसत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

- 12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

- 12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. प्रथम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।
- 12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पक प्राप्त करने वाले खिलाड़ीयों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्र. 7678/खेयुक/2018दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियनों/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स(स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिनजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	10 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट	15 प्रतिशत
(झ)	इयूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट	10 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत